न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या एल.आर/2021/103 /अजमेर

1. श्री छीतर पुत्र स्व0 श्री हरजी पौत्र स्व0 श्री बख्ता जाति रावत निवासी ग्राम खाजपुरा तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमती केली पुत्री स्व0 श्री हरजी पौत्री स्व0 श्री बख्ता पत्नी श्री बीरम जाति रावत हाल निवासी ग्राम हाथीखेड़ा तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये आयुक्त
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ–12(सी)13/292
दिनांक 27–9–2013

————

उपस्थित– श्री एन.एस.राजावत, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी स0 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 23–01–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ग्राम खाजपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित आराजी जिसके साबिक खसरा नम्बर 661, 666, 672, एवं 663 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 813, 821, 823, 788 एवं 882 की कृषि भूमियां बाबत एक राजस्व वाद संख्या 96/2011 वास्ते खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 87/2011 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष दिनांक 22–6–2011 को प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारियों श्री बख्ता पुत्र श्री कालू व श्री लाल पुत्र श्री उगमा के खातेदारी एवं आधिपत्य की रही है जो कि खेवट

खतौनी फसली सम्वत 1949 एवं चौसाला जमाबंदी सम्वत 2015 से 2026 में किये गये इन्द्राजात से पूर्णतया सिद्ध है। जिन कृषि भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर जिले में दिनांक 15–6–1958 के प्रभाव में आने की तिथि यानि सम्वत 2015 में उपकृषक अंकित होकर सम्वत 2015 से आज दिवस तक काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु आराजी मुतनाजा को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री तथा सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना गैर कानूनी त्रूटपूर्ण इन्द्राज कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवायचक अंकित कर दिया गया। विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का लगभग 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं उनके पूर्वाधिकारियों को विधिवत जानकारी में है। प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण जो कि शांतिपूर्वक विवादित आराजियात पर कब्जे काश्त में है जिसे अविधिक रूप से बेदखल करने पर आमादा है। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलार्थी को सुना जाकर अपने अस्पष्ट आदेश दिनांक 22–6–2011 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 237/2011 राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष दिनांक 1–7–2011 को प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 1–7–2011 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर को प्रतिप्रेषित किया गया जिन्होंने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 87/2011 को अपीलार्थीके हक में निर्णित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया जो आज दिनांक तक प्रभावी होकर किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जाकर निरस्त नहीं किया गया है। राजस्व वाद संख्या 96/2011 आज दिवस को भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। किन्तु उक्त राजस्व वादों के विचाराधीन होने के बावजूद भी जिला कलक्टर अजमेर द्वारा अपने एकपक्षीय एवं गैर कानूनी आदेश दिनांक 27–9–2013 द्वारा विवादित भूमियों में से भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के पश्चात कायम किये गये वर्तमान खसरा नम्बर 951, 1334, 1335, 1336, 1337 व 1338 को प्रत्यर्थी संख्या 1 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमरे के हक में हस्तांतरित करने के गैर कानूनी आदेश पारित कर दिये। जिला कलक्टर अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 27–9–2013 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा जिला कलक्टर अजमेर के एकपक्षीय आदेश दिनांक 27–9–2013 के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में खातेदारी दर्ज हो जाने के पश्चात अपीलार्थी संख्या 1 के पुत्र श्री भागचन्द के माध्यम से पटवारी हल्का से प्राप्त जमाबंदी के आधार पर दिनांक 10–3–2021 को सर्वप्रथम

जानकारी हुई जिस पर दिनांक 12–3–2021 को मूल वाद संख्या 96/2011 में प्रत्यर्थी संख्या 1 को पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस तामील करवाया गया तथा साथ ही आदेश दिनांक 27–9–2013 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 22–3–2021 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि दिनांक 10–3–2021 से अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थीगण ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि ग्राम खाजपुरा तहसील अजमेर स्थित साबिक खसरा नम्बर 661, 666, 672, 663 जिनके भू–संशोधन की कार्यवही के पश्चात वर्किंग खसरा नम्बर 821, 813, 788, 882, 823, व 813 जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 951, 1334, 1335, 1336, 1337 व 1338 कायम किये गये जो कि अपीलार्थीगण के पैतृक खातेदारी व आधिपत्य में चली आ रही है जिसके बाबत राजस्व वाद संख्या 96/2011 दिनांक 22–6–2011 से विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 25–3–2021 नियत है तथा दिनांक 1–7–2011 से आज दिवस तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी है। जिसके संबंध में अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना विधिविरूद्ध तरीके से एकपक्षीय आदेश दिनांक 27–9–2013 जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित कर दिया जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम

खातेदारी का इन्द्राज कर दिये जाने से उसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में व्यवधान व बेदखल किये जाने पर आमादा है। इस प्रकार एकपक्षीय विधिविरूद्ध ओदश दिनांक 27–9–2013 से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त तर्को से अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसील अजमेर के कुल 68 ग्रामों की राजकीय सिवायचक खसरा नम्बरान की भूमियां जिसमें ग्राम खाजपुरा भी सम्मिलित है, को जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 द्वारा सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की हुई है। विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या–1 के कब्जे काश्त की होने से अपीलार्थीगण का उक्त आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण का धारा 96 जा0दी0. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात अपीलार्थी की पैतृक खातेदारी एवं आधिपत्य की होने तथा उसके संबंध में राजस्व वाद संख्या 96/2011 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 87/2011 दिनांक 22–6–2011 से विचाराधीन होकर प्रत्यर्थी को विधिवत जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना विवादित भूमि बाबत आदेश दिनांक 27–9–2013 पारित किया जो विवादित भूमि की सीमा तक पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत किसी भी भूमि को सेट–अपार्ट किये जाने से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रक्रिया के अनुसार राजस्व एजेन्सी के माध्यम से राजस्व रेकार्ड एवं भौतिक स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किये जाने के उपरान्त प्रभावित पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आम सूचना व नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक सिद्धान्त है। परन्तु जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 27–9–2013 पारित किये जाने से पूर्व ना तो सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया ना ही विधिक प्रकिय्र की पालना की गई। खातेदारी भूमियों को

सेट–अपार्टकर हस्तांतरित किये जाने का जिला कलक्टर अजमेर को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिला कलक्टर अजमरे के आदेश दिनांक 27–9–2013 की पृष्ठ संख्या 2 पर वर्णित शर्त संख्या 01 से 04 की पालना प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष नहीं की गई इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा शर्त संख्या 5 के विपरीत राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया तथा वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 को सहयोग करते हुए कब्जा दिलाये जाने पर आमादा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा शर्त संख्या 1 से 4 की पालना नहीं की गई है। वर्तमान में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र में विभिन्न प्रकार की त्रूटियां कारित होकर खातेदारों को परेशानियां उत्पन्न हो जाने से राज्य सरकार द्वारा अजमेर, नसीराबाद, पुष्कर व पीसांगन तहसीलों में भू–संशोधन का कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया है तथा तब तक प्रभावित राजस्व रेकार्ड में किये गये इन्द्राज को निष्प्रभावी किया गया है। जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 106 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिपत्र क्रमांक प–13(05)/राज–1/2016/जयपुर दिनांक 1–9–2017 को जारी किया गया है। इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गैर कानूनी रूप से त्रूटिपूर्ण इद्राज के आधार पर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अविधिक कार्यवाही किये जाने पर आमादा है। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 27–9–2013 में उल्लेखित शर्ते व निबन्धन की क्रम संख्या 7 के तहत आदेश में वर्णित आराजियात बाबत किसी भी न्यायालय में लम्बित वाद व स्थगन इत्यादि को अप्रभावित रखेगा, उल्लेखत किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि के संबंध में उपरोक्त वर्णितानुसार आदेश दिनांक 27–9–2013 पारित किये जाने से पूव्र ही सक्षम न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रभावी रहा है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2013 को ग्राम खाजपुरा तहसील अजमेर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 951, 1334, 1335,1336, 1337 व 1338 की सीमा तक निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दावा लम्बित है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने स्थगन आदेश होने का उल्लेख किया है किन्तु अपील मीमो में स्थगन आदेश किस दिनांक को दिया गया है उल्लेखित नहीं किया है। अपीलार्थीगण को आदेश 6 नियम 17 में संशोधन उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष करवाना चाहिए। अपीलार्थीगण को आपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पर हक अधिकार का दावा का निर्णय दावे से होगा। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल दावा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहां लम्बित है। विवादित भूमि पर हक अधिकार का निर्धारण दावे के निर्णय में ही किया जायेगा।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 द्वारा सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की हुई है। उक्त मूल आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार से सक्षम न्यायालय मे चाराजोही नहीं किये जाने के विधिक आधार पर उपरोक्त आदेश अंतिम हो चुका है जिसे चुनौती देने का अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर जो अनुतोष चाहा गया है वह सक्षम न्यायालय में दावे के निर्णय के उपरान्त ही प्राप्त किया जा सकता है जिसके अभाव में अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या–1 के विरूद्ध वर्तमान अपील में किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 एक प्राधिकरण है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के हितार्थ, सुविधार्थ, जनउपयोगी कार्य/योजनाओं का क्रियान्वयन करना व अधिक से अधिक आम जनता को लाभ पहुंचाना है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने व अविधिक लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की है जो सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी है। विवादित भूमि अपीलार्थीगण की क्रय शुदा आराजियात है। अपीलार्थीगण को आदेश 6 नियम 7 आदेश की जरूरत नहीं है।

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर पत्रावली में उपलब्ध संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 के द्वारा नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3(1067)नविवि/3/2013 दिनांक 14–8–2013 से नगर सुधार न्यास अजमेर को क्रमोन्नत करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का गठन होने एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 के प्रावधानानुसार प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किये गये 68 ग्रामों की राजकीय भूमियां स्वतः ही प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में सम्मिलित हो गई है। इस संबंध में तहसीलदार अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 5971 दिनांक 17–9–2013 से अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की सीमा में सम्मिलित किये गये विभिन्न ग्राम जिसमें ग्राम खाजपुरा भी सम्मिलित है, की सिवायचक भूमियों को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम करने की अनुशंषा के आधार पर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरण करने के आदेश पारित किये है।

अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 96/2011 आज दिनांक तक विचाराधीन है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 87/2011 विचाराधीन है जिसमें उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा निर्णय

पारित किया जाना शेष है। अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर पैतृक खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य का निर्धारण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय के अनुसार होगा। चूंकि तहसीलदार, अजमेर के प्रस्ताव अनुसार विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के कारण तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 द्वारा नगर सुधार न्यास अजमेर को क्रमोन्नत करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का गठन होने एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 के प्रावधानानुसार प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किये गये 68 ग्रामों की राजकीय सिवायचक भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित की है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर